



Neutral Citation No. - 2026:AHC:42861

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - बी संख्या - 688/2026

श्री परशु राम

.....याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 9 अन्य

.....प्रतिवादी(गण)

याचिकाकर्ता(गण) के अधिवक्ता : ऋतुवेंद्र सिंह नागवंशी, संजय कुमार पांडे

प्रतिवादी(गण) के अधिवक्ता : हरीश चंद्र सिंह, संतोष कुमार तिवारी, सी.एस.सी., सुधांशु पांडे

न्यायालय संख्या - 55

माननीय न्यायमूर्ति चंद्र कुमार राय

1. निजी प्रतिवादी संख्या 4 से 7 की ओर से दिनांक 22.2.2026 को दायर हलफनामा रिकॉर्ड पर ले लिया गया है।
2. श्री आर.सी. सिंह, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता (जिनकी सहायता याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री एन.डी. शुक्ला ने की), श्री धर्म पाल सिंह, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता (जिनकी सहायता निजी प्रतिवादी संख्या 4 से 7 के विद्वान अधिवक्ता श्री हरीश चंद्र सिंह ने की), और राज्य-प्रतिवादियों की ओर से विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री तरुण गौर को सुना गया।
3. मामले के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि याचिकाकर्ता के पिता, जिनका नाम जय प्रकाश था, का नाम विवादित भूखंड के रिकॉर्ड में दर्ज था। एक व्यक्ति, अरविंद कुमार ने दिनांक 29.10.1998 को

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



प्रतिवादी संख्या 8/ महावीर सिंह राणा के पक्ष में एक विक्रय-पत्र निष्पादित किया था। प्रतिवादी संख्या 8 ने दाखिल-खारिज वाद संख्या 68/1999 दायर किया था, जिसे दिनांक 22.12.1999 के आदेश द्वारा खारिज कर दिया गया था। प्रतिवादी संख्या 8 ने प्रतिवादी संख्या 4/ हर्ष नागपाल के पक्ष में एक विक्रय-पत्र निष्पादित किया था; तदनुसार, प्रतिवादी संख्या 4 ने तहसीलदार के समक्ष दाखिल-खारिज वाद संख्या 272/2002 दायर किया। उपर्युक्त वाद संख्या 272/2002 को दिनांक 3.12.2002 के आदेश द्वारा खारिज कर दिया गया था। दिनांक 9.5.2002 और 22.7.2004 की विक्रय-विलेख के आधार पर, तहसीलदार के समक्ष दो अलग-अलग दाखिल-खारिज मामले दायर किए गए थे, और तहसीलदार ने दिनांक 20.8.2022 के आदेश के माध्यम से, दिनांक 9.5.2002/22.7.2004 की विक्रय-विलेख के आधार पर उपर्युक्त दोनों दाखिल-खारिज मामलों को स्वीकार कर लिया। प्रतिवादी संख्या 4 ने दिनांक 20.8.2022 के आदेश को वापस लेने के लिए दिनांक 22.11.2023 को एक आवेदन दायर किया। तहसीलदार द्वारा दिनांक 27.2.2025 के आदेश के माध्यम से उपर्युक्त बहाली आवेदन को अस्वीकार कर दिया गया। दिनांक 27.2.2025 के आदेश के विरुद्ध, याचिकाकर्ता ने उप-विभागीय अधिकारी के समक्ष अपील दायर की। उपर्युक्त अपील को स्वीकार किया गया और दिनांक 24.3.2025 को एक अंतरिम आदेश जारी किया गया, जिसमें दिनांक 27.2.2025 के आदेश के क्रियान्वयन पर रोक लगा दी गई। प्रतिवादी संख्या 4 ने अपील में दिए गए अंतरिम आदेश के विरुद्ध राजस्व मंडल के समक्ष पुनरीक्षण दायर किया। राजस्व मंडल ने दिनांक 30.10.2025 के आदेश के माध्यम से पुनरीक्षण को स्वीकार कर लिया है, और दिनांक 24.3.2025 के आदेश के प्रभाव और क्रियान्वयन को निलंबित कर दिया है। इसलिए, निम्नलिखित राहतों के लिए यह रिट याचिका दायर की गई है:

"i. 'उत्प्रेक्षण' की प्रकृति का एक रिट, आदेश या निर्देश जारी किया जाए, जिसके तहत रिकॉर्ड तलब किया जाए और प्रयागराज स्थित उत्तर प्रदेश राजस्व बोर्ड के समक्ष लंबित रिवीजन संख्या 5092/2025

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



(कम्प्यूटराइज्ड केस संख्या एएल20250960005092) की संपूर्ण कार्यवाही को रद्द किया जाए; इसमें प्रयागराज स्थित उत्तर प्रदेश राजस्व बोर्ड के सदस्य द्वारा पारित दिनांक 30.10.2025 का आक्षेपित आदेश भी शामिल है (जो इस रिट याचिका का अनुलग्नक संख्या 1 है)।

ii. 'परमादेश' की प्रकृति का एक रिट, आदेश या निर्देश जारी किया जाए, जिसके द्वारा सहारनपुर के उप-विभागीय अधिकारी को अपील संख्या 4496/2025 (कम्प्यूटराइज्ड केस संख्या टी 202509600104496) का निर्णय करने का आदेश दिया जाए।"

4. याचिकाकर्ता के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने यह निवेदन किया कि याचिकाकर्ता द्वारा दायर 'दाखिल-खारिज अपील' उप-विभागीय अधिकारी के समक्ष लंबित है और उसमें एक अंतरिम आदेश भी पारित किया गया था; ऐसी स्थिति में, अपील में दिए गए अंतरिम आदेश के विरुद्ध दायर किया गया रिवीजन (पुनरीक्षण) विचारणीय नहीं था, परंतु राजस्व बोर्ड ने उस रिवीजन को स्वीकार कर लिया और रिवीजन की कार्यवाही में एक और अंतरिम आदेश पारित कर दिया। उन्होंने आगे यह भी निवेदन किया कि रिवीजन की कार्यवाही में दिया गया आक्षेपित अंतरिम संरक्षण आदेश रद्द किया जाना चाहिए, साथ ही राजस्व बोर्ड के समक्ष लंबित संपूर्ण रिवीजन कार्यवाही को भी रद्द किया जाना चाहिए; इसके अतिरिक्त, उप-विभागीय अधिकारी को यह निर्देश दिया जाना चाहिए कि वे अपील संख्या 4496/2025 का निर्णय विधि के अनुसार करें।

5. दूसरी ओर, प्रतिवादी संख्या 4 से 7 की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने यह निवेदन किया कि याचिकाकर्ता द्वारा 'उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006' की धारा 144 के अंतर्गत एक वाद दायर किया गया था, जिसका निर्णय दिनांक 4.1.2019 और 17.6.2019 को पारित किया गया था। उन्होंने आगे यह भी निवेदन किया कि विवादित भूखंड के संबंध में ही, 'उत्तर प्रदेश जमींदारी

"अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम' की धारा 229-बी के अंतर्गत धन प्रकाश नामक व्यक्ति द्वारा दायर एक अन्य वाद का निर्णय दिनांक 30.12.1993 को पारित किया गया था। उन्होंने आगे कहा कि 30.12.1993 के फैसले और डिक्री के साथ-साथ 4.1.2019/ 17.6.2019 के आदेश के खिलाफ, प्रतिवादी संख्या 4 द्वारा पुनरीक्षण संख्या 1351/2025 और पुनरीक्षण संख्या 1352/2025 दायर किए गए थे। उन्होंने आगे कहा कि पशु राम द्वारा लखनऊ स्थित उत्तर प्रदेश राजस्व बोर्ड के समक्ष दूसरी अपील संख्या 1983/2021 और दूसरी अपील संख्या 1984/2021 दायर की गई थीं। उन्होंने आगे कहा कि राजस्व बोर्ड ने 28.1.2026 के आदेश के माध्यम से रिवीजन को स्वीकार कर लिया है, और ट्रायल कोर्ट के फैसले और डिक्री को रद्द कर दिया है। उन्होंने आगे कहा कि उपर्युक्त महत्वपूर्ण तथ्य का खुलासा किए बिना, याचिकाकर्ता द्वारा यह रिट याचिका दायर की गई है; अतः, इस रिट याचिका को खारिज कर दिया जाना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि इस मामले में किसी भी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है और याचिकाकर्ता द्वारा दायर रिट याचिका को खारिज कर दिया जाना चाहिए।

6. मैंने पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया है और अभिलेखों का अवलोकन किया है।

7. इस तथ्य को लेकर कोई विवाद नहीं है कि निजी प्रतिवादी द्वारा दायर रिवीजन यह मामला राजस्व बोर्ड के समक्ष लंबित है और अंतरिम आदेश प्रभावी है।

8. यह उल्लेख करना महत्वपूर्ण है कि उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 144 / उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम की धारा 229-बी के तहत कुछ कार्यवाहियों का निर्णय संबंधित न्यायालय द्वारा किया जा चुका है; अतः, राजस्व बोर्ड के समक्ष लंबित पुनरीक्षण में पारित अंतरिम आदेश के विरुद्ध याचिकाकर्ता की ओर से हस्तक्षेप की कोई गुंजाइश नहीं है।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



9. दोनों पक्षों को राजस्व बोर्ड के समक्ष लंबित कार्यवाही का विरोध करने का पूर्ण अवसर प्राप्त है और राजस्व बोर्ड विधि के अनुसार पुनरीक्षण का निर्णय करेगा।

10. यह रिट याचिका **गलत धारणा पर आधारित है और तदनुसार इसे खारिज किया जाता है।**

(न्यायमूर्ति चंद्र कुमार राय)

25 फरवरी, 2026

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”